UPSR010000022004

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी–सौरभ सक्सेना, (उच्चतर न्यायिक सेवा) I.D– UP–1753

विशेष गैंगस्टर वाद संख्या–10006/2004

उत्तर प्रदेश राज्य --------अभियोगी/वादी।

बनाम

राम सेवक यादव पुत्र झलूसे यादव उम्र–52 वर्ष

निवासी–झब्बापुरवा, थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती।

----------विपक्षी/अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–202/2003

धारा–307 भा०दं०सं०

व धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज

विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम

व धारा–3/25 आयुध अधिनियम

थाना–मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती।

निर्णय

1– प्रस्तुत विशेष गैंगस्टर वाद थाना मल्हीपुर की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–202/2003 धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम व धारा–3/25 आयुध अधिनियम पर प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त संस्थित हुआ है। प्रस्तुत मुकदमा दिनांक–31–03–2011 को मूल गैंगस्टर वाद संख्या–100006/2004 राज्य बनाम देवतादीन उर्फ ढ़ोढे आदि में पारित आदेश दिनांक–31–03–2011 के अनुपालन में मूल पत्रावली से पृथक कर दर्ज रजिस्टर हुआ था।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि एस०ओ० कैलाश नाथ यादव मय एस०आई० सुदामा यादव, एस०आई० विजय प्रताप, एस०आई० मोहम्मद रशीद, का० गंगा प्रसाद तिवारी, का० संतोष कुमार सिंह, का० संतोष सिंह, का० कृपा शंकर मिश्र के रवाना रपट नं०–37 समय 17:30 रोमआमचा दिनांक–11–10–2003 से वाद दिगर कार सरकार मुकदमा अपराध संख्या–201/2003 धारा–379 भा०दं०सं० व धारा–

Digitally signed by SAURABH SAXENA
Date: 2026.06.25 16:03:23 IST
Reason: ASJ (Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court
Shravasti

5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्तगण की सुरागरसी में रामपुर जब्दी गावं के उत्तर जंगल में मामूर था कि जरिये मुखबिर ज्ञात हुआ कि कुछ बदमाश पिछले एक सप्ताह से जंगल में हथिया रेहार के आस पास छिपकर पैदल व साइकिल से आने व जाने वाले यात्रियों को लूटपाट ले रहे है। आज भी उक्त स्थान के आस पास आकर कहीं छिपे है। अभी तत्काल चलकर तलाशने पर कुछ बदमाश पकडे जा सकते हैं तथा असलहा बरामद हो सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर तत्काल प्रस्थान कर रास्ते में मिले गवाहान मुमताज अली पुत्र मोसिम अली व निजाम बेग पुत्र समशुद्दीन बेग, मोहम्मद एहसानुबहक पुत्र इम्तियाज अली, हंसराज पुत्र राम मिलन, अब्दुल अजीज पुत्र साहेब खां साकिनान पूरेवाले, थाना–मल्हीपुर, जनपद श्रावस्ती मकसद बताकर व साथ लेकर हथिया रेहार पुलिया के पास पहुँचकर सडक के दोनों तरफ करीब सौ–सौ गज जंगल में काम्बिंग करते पूरब बढ़ गया। हथिया रेहार पुलिया से करीब 500 गज पूरब जाने वाले अंटा तिराहे के तरफ जाने वाली फारेस्ट रोड के दक्षिण तरफ करीब 15 गज अन्दर जंगल झाडी के बीच कुछ बदमाश बन्दूक व कट्टा लिए दिखायी दिये। जिसे देखकर हम पुलिस वाले एवं जनता के लोग ललकराते हुये रूकने के लिए कहे तो बदमाशों में से एक बदमाश जिसके हाथ में दो नाली बन्दूक थी तथा दूसरा बदमाश जिसके हाथ में कट्टा था, दोनों लोगों को लक्ष्य करके जान से मारने की नियत से फायर कर दिया कि पुनः उन लोगों द्वारा ललकराने पर कि जान माल के सुरक्षार्थ वह लोग द्वारा फायर किया जायेगा बदमाश अपने को घीरा देखकर घबरा गये और जंगल में भागना शुरू किया कि दौड़ाकर घेर घारकर आवश्यक बल प्रयोग करके समय करीब 18:10 बजे शाम वजाप्ता बहद् ग्राम पूरेवाले 3 बदमाश को मय असलहे के पकड लिया गया। नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम देवता उर्फ ढोढे पुत्र श्रीराम यादव साकिन–रमना, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती समक्ष गवाहान एवं कर्मचारीगण वाजाप्ता व कायदा जामा तलाशी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ में लिए हुये एक गन बरामद हुयी। गन को खोलकर देखा गया तो एक नाल में एक कारतूस 12 बोर फायर शुदा व एक कारतूस एक नाल में जीवित तथा पहने हुये पैण्ट के दाहिने जेब से 3 कारतूस जिन्दा 12 बोर का बरामद हुआ। दूसरे का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मुश्ताक खां पुत्र शेर बहादुर खां साकिन–चौबेपुरवा, थाना–सिरसिया, जनपद–श्रावस्ती बताया। इसकी जामा तलाशी लिया गया तो दाहिने हाथ में एक अदद देशी तमंचा 12 बोर चालू हालत में बरामद हुआ। तमंचे को खोलकर देखा गया तो एक अदद फायर खुदा कारतूस 12 बोर नाल में बरामद हुआ तथा पहने हुये पैण्ट के दाहिने जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अदद एक नम्बर का कारतूस बरामद हुआ। तीसरे से नाम ता पूछने पर उसने अपना नाम राम सेवक यादव पुत्र झलूसे यादव निवासी–झब्बापुरवा, दा०–वालेपुरवा, थाना–

मल्हीपुर, जनपद–श्रावस्ती बताया। जामा तलाशी से एक कट्टा 32 बोर दाहिने हाथ से बरामद हुआ। खोलकर देखा गया तो एक कारतूस जिन्दा 32 बोर नाल से बरामद हुआ तथा पहने हुये कुर्ता के दाहिने जेब से 2 अदद कारतूस 32 बोर जीवित बरामद हुआ। अभियुक्तगण से बरामद असलहों के बारे में पूछा गया तो कोई सही उत्तर नहीं दिया गया। इधर उधर की बाते करते रहे। इनका एक संगठित गिरोह है। जिसका गैंगलीडर देवता उर्फ ढोढे है। यह डकैती, राहजनी, हत्या बलात्कार आदि के अपराध करते हैं। जिससे थाना स्थानीय क्षेत्र व आस पास के थाना क्षेत्र की जनता आतंकित है। इनके डर के मारे जनता का कोई व्यक्ति रिपोर्ट नहीं लिखाता है। इनका एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए सामुहिक रूप से व अलग–अलग चोरी डकैती, लूट, हत्या, अपहरण आदि का अपराध करते हैं। इस घटना में भी अभियुक्तगण सामुहिक रूप से आर्थिक लाभ के लिए राहगीरों को लूट के लिए हथिया रेहार जंगल में मय असलहे के बैठे थे कि मौके पर मय असलहे के पकडे गये। अतः गिरफ्तारी का कारण बताकर अन्तर्गत धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3/25 आयुध अधिनियम व धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट एवं एन्टी सोशल एक्ट, विटिज प्रिवेन्सन एक्ट अपराध बताकर अभियुक्तगण को हिरासत पुलिस में लिया गया एवं बरामद असलहा कारतूस को कब्जा पुलिस में लेकर अलग–अलग कपडे में सर्व मोहर किया गया, नमूना सील तैयार किया गया। फर्द मौके पर लिखकर पढकर सुनाकर अलामात कर्मचारी एवं गवाहान बनवाया गया। फर्द की नकल अभियुक्तगण को देकर अलामात बनवाये गये। दौरान गिरफ्तारी मानवाधिकार एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं निर्देशों का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के परिवारजनों को भेजी गयी। एस०ओ० के दाहिने हाथ के अंगूठे में दर्द होने के कारण फर्द एस०आई० सुदामा यादव को बोलकर लिखाया गया। फर्द टार्च की रोशनी में लिखी गयी। फर्द मय अभियुक्तगण व माल अवैध असलहा थाना मल्हीपुर पर दाखिल की गयी।

3– फर्द प्रदर्श–क–2 के आधार पर थाना–मल्हीपुर में अभियुक्तगण देवतादीन यादव उर्फ ढोढे, मुस्ताक खां व **राम सेवक यादव** के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–202/2003 धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम एवं धारा–3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत हुआ।

4– मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने नकल फर्द, नकल रपट की नकल केस डायरी में करते हुए वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान धारा–161 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा–नजरी

तैयार किया था। बादहू विवेचना समाप्त करते हुए विवेचक ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण देवतादीन उर्फ ढोढे, मुस्ताक खां व **राम सेवक यादव** के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–202/2003 धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम एवं धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5– आरोप पत्र प्राप्त होने पर विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) फैजाबाद द्वारा दिनांक–03–07–2004 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। दिनांक–31–03–2011 को अभियुक्त राम सेवक यादव की अनुपस्थिति के कारण उसकी पत्रावली मूल पत्रवली से पृथक की गयी। दिनांक–28–07–2017 को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, श्रावस्ती द्वारा अभियुक्त राम सेवक यादव धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम व धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की माँग की गयी।

6– राज्य की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये हैः–

क्रसं	साक्षी का नाम	साक्षी संख्या	साक्षी का प्रकार	साबित प्रपत्र	प्रदर्श
1–	निजाम बेग	पी०डब्लू०–1	परिस्थितिजन्य	–––	–––
2–	अब्दुल अजीज	पी०डब्लू०–2	परिस्थितिजन्य	–––	–
3–	सेवानिवृत उपनिरीक्षक हरीराम पुष्कर	पी०डब्लू०–3	चिक एफ०आई०आर० लेखक	चिक एफ०आई०आर० कामयी जी०डी०	प्रदर्श–क–1 प्रदर्श–क–16
4–	मो० एहसानुल हक	पी०डब्लू०–4	फर्द गवाह	फर्द/तहरीर	प्रदर्श–क–2
5–	पुलिस अधीक्षक कैलाश नाथ यादव	पी०डब्लू०–5	वादी मुकदमा	फर्द/तहरीर अभियुक्त राम सेवक से बरामद कट्टा अभियुक्त राम सेवक से बरामद गोली	प्रदर्श–क–2 वस्तु प्रदर्श–1 वस्तु प्रदर्श–2 ता 4

7– तत्पश्चात अभियोजन की ओर से दिनांक–01–06–2026 को आदेश पत्रक पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त करने का स्पष्ट तौर पर अंकन किया गया। जिसके फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

8– दिनांक–04–06–2026 को अभियुक्त का बयान धारा–313 दं०प्र०सं० अंकित हुआ। अभियुक्त ने अभियोजन गवाहान द्वारा गलत व रंजिशन बयान देने का कथन किया तथा अपने पास से बरामदगी न होने का कथन किया। अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया तथा मुकदमा रंजिशन चलना बताया।

9– अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की मुख्य परीक्षा निम्नवत् हैः–

10– पी०डब्लू०–1 निजाम बेग पुत्र शमसुद्दीन ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "आज से लगभग 21–22 साल पहले समय लगभग छह–

साढ़े छह बजे के आस पास मल्हीपुर के पुलिस ने मुल्जिम राम सेवक यादव पुत्र झलूसे निवासी पूरे बाले झब्जापुरवा और अभि०गण मुस्ताक व देवतादीन को पुलिस वाले मेरे सामने गिरफ्तार किया था या नही ये बात मुझे याद नही है। मुल्जिमान रामसेवक से कोई असलहा आदि की बरामदगी मेरे सामने नही हुई थी। पुलिस वालोने मेरा कोई बयान नही लिया था।"

11– पी०डब्लू०–2 अब्दुल अजीज खां पुत्र साहेब खां ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक–12/10/2003 समय करीब छह–सात बजे मल्हीपुर की पुलिस ने मुल्जिम राम सेवक यादव पुत्र झलूसे निवासी पूरे बाले झब्जापुरवा को मेरे सामने गिरफ्तार नही किया था और ना ही मेरे सामने रामसेवक या किसी अन्य मुल्जिमान से किसी हथियार या असलहे की बरामदगी नही हुई थी। इस घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नही है। पुलिस वालोने मेरा कोई बयान भी नही लिया था।"

12– पी०डब्लू०–3 सेवानिवृति उपनिरीक्षक हरिराम पुष्कर ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक–13/10/2003 को मैं थाना मल्हीपुर में कांस्टेबल मोहर्रिर के पद पर तैनात था उसी दिन वादी कैलाशनाथ यादव द्वारा मु०अ०स०–202, 203, 204, 205/2003 बनाम देवतादीन, मुस्ताक, रामसेवक, पंजीकृत किया गया था जिसे मेरे द्वारा वादी की तहरीर पर अक्षरशः किता किया गया था। पत्रावली संलग्न कागज सं०–ए5/1 ता ए–5/3 मूल चिक की प्रमाणित छायाप्रति है, पहचान करता हूँ जिसपर मेरा हस्ताक्षर है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मुकदमा उपरोक्त की कायमी रपट सं०–4 समय 4:10 ए०एम० मेरे द्वारा की गयी थी जिसकी कार्बन प्रति मूल पत्रावली में कागज सं०–ए9/1 संलग्न है पहचान करता हूँ जिस पर पहले से ही प्रदर्श क–16 अँकित है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

13– पी०डब्लू०–4 मोहम्मद एहसानुल हक पुत्र इम्तियाज अली ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना आज से लगभग 22–23 वर्ष पहले की है। मैं अपने मित्र अब्दुल अजीज, मुमताज अली, हंशाराज के साथ था। तभी पुलिस द्वारा हमें बताया गया कि कुछ बदमाश लोग लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं तो हम पुलिस वालों के साथ गये तो देखा कि कुछ लोग असलहा लेकर लूट रहे थे। जिसे पुलिस द्वारा असलहों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसमें राम सेवक को भी गिरफ्तार किया गया था। कुछ लोग जिसमें देवतादीन व मुस्ताक को असलहे के साथ पकड़ा गया था। पुलिस द्वारा मौके पर मेरे सामने लिखा पढ़ी की गयी थी। जिस पर मैंने हस्ताक्षर बनाया था। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या ए–5/4 ता ए–5/5 मूल फर्द की छायाप्रति प्रमाणित है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पहचान करता हूँ। जिस पर प्रदर्श–क–2 डाला गया। घटना के

बावत दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।"

14– पी०डब्लू०–5 सेवानिवृत्त निरीक्षक कैलाश नाथ यादव ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक–11/10/2003 को मैं थाना मल्हीपुर में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को मैं एस०आई० सुदामा यादव, उ०नि० विजय प्रताप, अ०नि० मो० राशिद, का० गंगा प्रसाद तिवारी, का० संतोष कुमार सिंह, का० कृपाशंकर मिश्र के साथ समय करीब 17:30 बजे थाना से रवाना होकर मु०अ०स०–201/2003 धारा–379 IPC व 5/8 सी०एस० एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त की तलाश में ग्राम रामपुर जब्दी के उत्तर जंगल में मामूर था कि जरिए मुखबिर ज्ञात हुआ कि कुछ बदमाश पिछले एक सप्ताह से जंगल में हथियार लेकर आसपास छिपकर, पैदल व साइकिल से आने जाने वाले आदमियों के साथ लूटपाट करते है। तत्काल तलाश करने पर पकड़े जा सकते है। उक्त सूचना पर विश्वास करके रास्ते से मिले गवाह मुमताज अली, निजाम बेग, मो० एहसानुल हक, हंसराज व अब्दुल अजीज निवासी ग्राम पूरे बाले थाना मल्हीपुर को मकसद समझाकर साथ लेकर हथिया रेहार पुलिया के पास पहुँचकर सड़के के दोनो तरफ काम्बिंग शूरू किया गया तो पुलिया के पास पहुँचकर सड़क के दोनो तरफ करीब सौ–सौ गज जंगल में काम्बिग करते हुए पूरब बढ़ा गया तो हथिया रेहार पुलिया के करीब पाँच सौगज पूरब जंगल की झाड़ी के बीच सड़क के दक्षिण कुछ बदमाश बन्दूक व कट्टा लिये दिखाई दिये जिन्हे देखकर हम पुलिस वालें व साथ में जनता के गवाहान रूकने के लिए ललकारे तो बदमाशों में से एक जिसके हाथ में एक नली बन्दूक थी तथा दूसरा जिसके हाथ में कट्टा था हम लोगो को लक्ष्य करके जान से मारने की नियत से फायर कर दिये तब हम लोगो द्वारा ललकारते हुए यह चेतावनी देने पर कि आत्मरक्षार्थ हम लोगो द्वारा भी फायर किया जायेगा कि बदमाश अपने घिरा देखकर घबड़ाकर जंगल में भागे कि दौड़ाकर घेर मार कर आवश्यक बल प्रयोग कर दिनांक–12/10/2003 को समय 18:10 सायं बहद ग्राम पूरे बाले तीन बदमाशों को मय असलहें के पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया व बाजापता तलाशी ली गयी तो निम्न नाम पता बताये तथा निम्न अस्त्र शस्त्र बरामद हुए 1. देवता उर्फ ढ़ोढ़े पुत्र श्रीराम यादव निवासी रमना थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती के दाहिने हाथ से एक डी०बी०बी०एल० बारह बोर नम्बर A1607D/3 जिस पर CHAND AND CO SUPERIOR Y 1980 लिखा था। बन्दूक को खोलकर देखा गया तो एक नाल में फायर सुदा खोखा कारतूस तथा दूसरे में जीवित कारतूस बारह बोर मिला। उसके पहने पैन्ट के दाहिने जेब से तीन कारतूस जिन्दा बारह बोर बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम मुस्ताक खाँ पुत्र शेरबहादुर खान निवासी चौबे पुरवा थाना सिरसिया जिला श्रावस्ती बताया उसके दाहिन हाथ से एक अदद तमन्चा बारह बोर जिसकी नाल पर 151239

(SH) सूर्या HFABY अंकित था। उसे खोलकर देखा गया तो उसके नाल से फायरशुदा खोखा कारतूस बारह बोर बरामद हुआ तथा पहने हुए पैन्ट के दाहिने जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ जिस पर KF12LG व एक अदद एक नम्बर का बरामद हुआ था। तीसरे ने अपना नाम सेवक यादव पुत्र झलूसे यादव निवासी झब्बापुरवा थाना मल्हीपुर जिला श्रावस्ती बताया उसके तलाशी पर उसके दाहिनी हाथ से एक कट्टा .32 बोर का बरामद हुआ उसके खोलकर देखा गया तो उसके नाल में 1.32 बोर का कारतूस बरामद हुआ। तथा कुर्ता के दाहिने जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा .32 बोर का बरामद हुआ। बरामद कट्टे व बन्दूक चालू हालत में थी। अभियुक्तगण से बरामद असलहों के बारें में पूछा गया तो कोई बात नही बता सके न ही लाइसेंस प्रस्तुत कर सके। अतः अभियुक्तो को कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत में लिया गया तथा बरामद असलहों को कब्जा पुलिस में लेकर अलग–अलग कपड़ों में सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा मौके पर ही उ०नि० सुदामा यादव से बोल बोलकर फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी तैयार कराई गयी जिसे पढ़ कर सुना कर गवाहान अभियुक्तो के अलामात बनवायें गये। पत्रावली में संलग्न फर्द बरामदगी को देखकर गवाहान ने कहा यह वही फर्द बरामदगी है जो मौके पर बनवायी गयी थी। पत्रावली संलग्न कागज सं०–ए 5/4 ता ए 5/5 मूल फर्द की छायाप्रति है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है पहचान करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। आज न्यायालय श्रीमान जी पर मुकदमें से सम्बन्धित माल मुकदमाती प्रस्तुत हुआ। न्यायालय श्रीमान जी के आदेश पर सीलबंद वस्तु खोला गया जिसमें से अभियुक्त रामसेवक यादव के पास से बरामद एक कट्टा 32 बोर का व तीन अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर का मौजूद है, यह वही कट्टा है जिसे अभियुक्त रामसेवक यादव के पास से बरामद हुआ था। तीन गोलियों में दोगोली अभियुक्त रामसेवक के दाहिने जेब से बरामद हुआ था व एक गोली कट्टे के नाल से बरामद हुई थी। जिसे मैं सत्यापित व प्रमाणित करता हूँ जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1 व वस्तु प्रदर्श–2, वस्तु प्रदर्श–3 वस्तु प्रदर्श–4 अंकित किया गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।"

15– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

16– राज्य की ओर से विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि अभियुक्त का एक गैंग हैं जिसका सरगना देवतादीन है। अभियुक्त ने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अपराध कारित करता था। अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। अभियुक्त के कब्जे से असलहा भी बरामद है। प्रस्तुत किये गये साक्षीगण जो पुलिस कर्मी है उन्होंने अपने साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को साबित किया है। उनके बयान में कोई भी

तात्विक विरोधाभाष नहीं है। जनता के गवाहान ने डर व भय के कारण अभियुक्त के विरूद्ध बयान नहीं दिया है और पक्षद्रोही हो गये हैं। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्धि किये जाने याचना की गयी है।

17– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि प्रस्तुत किये गये सभी पुलिसकर्मी ने शासन के दबाव में झूठा बयान दिया है। स्थानीय पुलिस ने शासन के दबाव में यह फर्जी कार्यवाही मुकदमें के सम्बन्ध में की है उनके बयान विरोधाभाषी हैं। जनता के किसी भी गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया है। कथित फायरिंग की कार्यवाही में किसी को भी चोट नहीं आयी है जो घटना को संदिग्ध बनाती है। स्थानीय पुलिस ने अभियुक्त को घर से पकड़कर फर्जी मुकदमें में फंसा दिया है। अभियुक्त का कोई गैंग नहीं है और न ही अभियुक्त ने गैंग के रूप में कोई अपराध कारित किया है। अभियुक्त को गलत फंसाया गया है। स्वतंत्र गवाहान ने घटना से इनकार किया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

18– **धारा–4 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम–1986– साक्ष्य के विशेष नियम**–संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध या सम्बद्ध अपराधों के लिये विचारण और दण्ड के प्रयोजनार्थ–

(क) न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रख सकता है कि अभियुक्तः

(एक) किसी पूर्व अवसर पर संहिता की धारा–107 या धारा–108 या धारा–109 या धारा–110 के अधीन आबद्ध किया गया था, या

(दो) निवारक निरोध से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन निरूद्ध किया गया था, या

(तीन) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 या ऐसी किसी विधि के अधीन बहिष्कासित किया गया था, या

(ख) जहाँ यह साबित हो जाये कि किसी गिरोहबन्द या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास किसी समय इतनी जंगम या स्थावर सम्पत्ति है या रही है जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता है, या जहाँ उसके वित्तीय साधन उसकी आय के ज्ञात स्त्रोतों के अनुपात में नहीं है, वहां न्यायालय, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये, उपधारणा करेगा कि ऐसी सम्पत्ति या वित्तीय साधन गिरोहबन्द के रूप में उसके क्रियाकलाप से अर्जित या प्राप्त किया गया है,

(ग) जहाँ यह साबित हो जाये कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का व्यवहरण या अपहरण किया है वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि यह फिरौती के लिये किया गया

था,

(घ) जहाँ यह साबित हो जाये कि किसी गिरोहबन्द ने किसी व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को साशय छिपाया या परिरुद्ध किया है, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि गिरोहबन्द यह जानता था कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, व्यपहृत या अपहृत किया गया था,

(ड़) यदि न्यायालय, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसा करना उचित समझे, अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है और किसी साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभियुक्त ऐसा चाहे तो साक्षी को प्रतिरक्षा के लिये पुनः बुलाया जा सकता है किन्तु अभियुक्त की उपस्थिति में उसकी मुख्य परीक्षा पुनः अभिलिखित करना आवश्यक न होगा।

19– अभियुक्तगण की ओर से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ की विधि व्यवस्था **तटस्थ उद्धरण संख्या–24298/2024, नैवेद्य धनीराम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** दाखिल की गयी है। जिसके सादर अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय के गैंगेस्टर के मामलों में यह अवधारणा किया गया है किः–

"12. साजू बनाम केरल राज्य, ए०आई०आर० 2001 एस०सी० 175 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 8 में प्रतिपादित किया है कि एक आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का दायित्व है कि आरोपी सीधे और वर्तमान में उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार कृत्यों या चूक से जुड़ा था। यह कानून की एक स्थापित स्थिति है कि आरोपियों में से किसी एक के कृत्य या कार्यवाही को दूसरे के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हालांकि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत एक अपवाद बनाया गया है। अदालत के पास यह मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर अपराध करने की साजिश रची थी। केवल इतना ही है कि एक आरोपी द्वारा की गई कार्रवाई या बयान के साक्ष्य को दूसरे के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

13. अधिनियम की धारा 2/3 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक आवश्यकताएं नीचे सूचीबद्ध की जा रही हैं:–

(i) व्यक्तियों का एक समूह होना चाहिए, जो अकेले या सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हों,

(ii) हिंसा या धमकी या हिंसा का प्रदर्शन या धमकी या जबरदस्ती या अन्यथा द्वारा;

(iii) सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने या अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लौकिक, आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से:

(iv) धारा 2(बी) की पंद्रह श्रेणियों में वर्गीकृत असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होना।

14. इसका अर्थ यह है कि समूह बनाने वाले व्यक्तियों को गिरोह कहा जा सकता या अन्यथा सार्वजनिक व्यवस्था व्यवस्था को बिगाड़ने के उद्देश्य से है यदि वे हिंसा, हिंसा का प्रयोग, धमकी, धमकी, जबरदस्ती या स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए लौकिक, आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए खंड (1) से (XV) के तहत सूचीबद्ध किसी भी असामाजिक गतिविधि में लिप्त हैं और गिरोह के सदस्य, नेता, आयोजक के रूप में पूर्वोक्त गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को गैंगस्टर माना जा सकता है और अधिनियम की धारा 3 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

----

17. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य; एआईआर 1973 एससी 2773 में यह प्रतिपादित किया है कि आपराधिक मुकदमे में, अपराध के विभिन्न तत्वों को साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है और जब तक वह उस दायित्व का निर्वहन नहीं करता, तब तक वह सफल नहीं हो सकता।

18. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम भजन सिंह एआईआर 1975 एससी 258 में यह प्रतिपादित किया है कि संदेह चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरलाल ग्यारसीलाल दीक्षित बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1981 एससी 765 में प्रतिपादित किया है कि बचाव का मिथ्यात्व अभियोजन पक्ष का मामला स्थापित नहीं करता है।

20. इसके अलावा प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1976 एससी 966 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को सभी उचित संदेह से परे साबित करना है, जबकि अभियुक्त को केवल संभावनाओं की प्रबलता स्थापित करने तक ही साबित करना है।"

20– प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित गैंगचार्ट प्रदर्श–क–17 के अवलोकन से यह विदित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध संयुक्त रूप से केवल एक मुकदमा, मुकदमा अपराध संख्या–202/2003 धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट दर्शित किया गया है। शेष मुकदमें एक मात्र अभियुक्त देवतादीन के विरूद्ध दर्शित किये गये हैं। अभियुक्त राम सेवक यादव के विरूद्ध केवल एक मुकदमा आयुध अधिनियम का दर्ज है जो उपरोक्त वर्णित पुलिस मुठभेड़ के साथ दर्ज किया गया है।

21– पी०डब्लू०–1 निजामबेग ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में घटना

का समर्थन नहीं किया है और यह कहा है कि **मुल्जिमान को पुलिस ने उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया था और न ही कोई असलहा आदि ही बरामद किया था।** विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल द्वारा पक्षद्रोही घोषित करने के उपरान्त **जिरह** करने पर साक्षी ने कथन किया है कि **पुलिस पार्टी पर गिरफ्तारी के समय जान से मारने की नियत से फायर करना उसकी जानकारी में नहीं है। प्रदर्श–क–1 पर बने हस्ताक्षर मुमताज प्रधान के घर पर सादे कागज पर बनाये थे**। विवेचक ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण गिरोहबन्द आदमी है इसलिये उनके भय से वह सही बात नहीं बता रहा है। साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि पुलिस ने उसके सामने मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया था और न ही मुल्जिमान के पास से कोई बरामदगी हुयी थी और न ही मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी का कोई फायर उसके सामने किया था। साक्षी ने अपने बयान में यह भी बताया है कि पुलिस ने उससे सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार कर दिया है कि मुल्जिमान गिरोहबन्द व सरकस किस्म के है इसलिए वह सही बात नहीं बता रहा है।

22– पी०डब्लू०–2 अब्दुल अजीज खां ने अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है और यह कहा है कि **पुलिस ने उसके सामने राम सेवक यादव को गिरफ्तार नहीं किया था और न ही उसके सामने किसी हथियार की बरामदगी ही की थी।** विद्वान ए०डी०जी०सी० क्रिमिनल द्वारा पक्षद्रोही घोषित करने के उपरान्त **जिरह** करने पर साक्षी ने बताया है कि प्रदर्श–क–1 पर बने **हस्ताक्षर पुलिस ने उससे प्रधान के घर पर सादे कागज पर करवा लिये थे।** उसका कोई बयान पुलिस नहीं लिया। **यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण गिरोहबन्द व सरकस किस्म के व्यक्ति है उनके डर के कारण वह सही बात नहीं बता रहा है**। साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि पुलिस ने उसके सामने मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया था और न ही मुल्जिमान के पास से कोई बरामदगी हुयी थी। साक्षी ने अपने बयान में यह भी बताया है कि पुलिस ने उससे सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार कर दिया है कि मुल्जिमान गिरोहबन्द व सरकस किस्म के है इसलिए वह सही बात नहीं बता रहा है।

23– पी०डब्लू०–3 सेवानिवृत उपनिरीक्षक हरीराम पुष्कर जो गैगेस्टर मुकदमें के चिक एफ०आई०आर० लेखक हैं, जिन्होंने अपने सशपथ बयान में मुकदमें की चिक वादी की तहरीर के आधार पर किता करना एवं उसकी नकल कायमी जी०डी० में करना साबित किया है। साक्षी ने **जिरह** में कथन किया है कि जिस समय उसने मुकदमा दर्ज किया था उस समय वह कैलाश नाथ यादव के मातहत काम करता था। उनके कहने पर उसने मुकदमा दर्ज किया था।

24– पी०डब्लू०–4 मोहम्मद एहसानुलहक ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह अपने साथी अब्दुल अजीज, मुमताज अली, हंसराज के साथ था। तभी पुलिस द्वारा उन्हें बताया गया कि कुछ बदमाश लोगों के साथ लूटपाट कर रहे हैं। पुलिस के साथ गये तो कुछ लोग असलहा लेकर लूट रहे थे जिन्हें पुलिस द्वारा असलहों के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसमें अभियुक्त राम सेवक को भी गिरफ्तार किया गया था। कुछ लोग जिसमें देवतादीन व मुस्ताक को असलहे के साथ पकड़ा गया था। पुलिस द्वारा मौके पर उसके सामने लिखा पढ़ी की गयी। जिस पर उसके दस्तखत बनवाये गये थे। साक्षी ने **जिरह** में कथन किया है कि घटना के समय में वहां वह मौजूद नहीं था। पुलिस वालों ने असलहा की जो बरामदगी दिखायी है वह उसके सामने कोई बरामदगी नहीं थी। उसके सामने मारपीट नहीं हुयी है। पुलिस वालों ने सादे कागज पर हस्ताक्षर बनवा लिया था। लेकिन इसका कोई कारण नहीं बताया। साक्षी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० को पढ़ सुनकर उससे इन्कार किया। साक्षी के उपरोक्त बयान से स्पष्ट है कि वह घटना के समय वहां मौजूद नहीं था और उसके सामने मुल्जिमान ने फायर नहीं किया था और न उसके सामने किसी मुल्जिमान से असलहा बरामद हुआ था।

25– पी०डब्लू०–5 वादी कैलाश नाथ यादव पुलिस अधीक्षक ने तहरीर प्रदर्श–क–1 के अनुरूप मुख्य परीक्षा में बयान दिया है। साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि दिनांक–11–10–2003 को समय **17:30 बजे थाने से रवानगी हुयी थी**। घटनास्थल पर दिनांक–12–10–2003 को समय 18:10 बजे पहुँचे थे। थाने के लगभग 25 घण्टे बाद घटनास्थल पर पहुँचे थे। सभी लोग मोटरसाइकिल से रवाना हुये थे। फर्द घटनास्थल पर ही तैयार की गयी थी। फर्द एस०आई० सुदामा यादव द्वारा उसके बोलने पर लिखी गयी थी। जो अभियुक्त मौके पर गिरफ्तार हुये थे उनको थाने पर ले गये थे। इन अभियुक्तगण को घटना से पहले वह नहीं पहचानता था। अभियुक्तगण की जामा तलाशी हमराही उपनिरीक्षक राशिद खान के द्वारा ली गयी थी। साक्षी का यह बयान कि मुल्जिमान द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया परन्तु उनके द्वारा मुल्जिमान पर कोई फायर नहीं किया गया विश्वसनीय नहीं लगता है। क्योंकि जब कोई पुलिस पार्टी पर कोई जान से मारने की नियत से फायर करेगा तो सामान्यतः पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने बचाव में फायर करेगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मुल्जिमान के फायर से किसी पुलिस कर्मी को कोई चोट नहीं आयी।

26– पी०डब्लू०–5 ने आगे जिरह में यह भी कथन किया है कि सभी लोगों ने तलाशी के पहले एक दूसरे की तलाशी लिया था। उल्लेखनीय है कि फर्द बरामदगी में उक्त जामा तलाशी के सम्बन्ध में कोई इन्द्राज नहीं है।

27– पी०डब्लू०–1 ने यह भी बताया है कि इस मुकदमें का गैंगचार्ट एस०ओ० श्री आर०के० गौतम द्वारा तैयार किया गया था। मुकदमें की घटना दिनांक–12–10–2003 की है। एफ०आई०आर० में ही धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट का अपराध कायम किया गया है जबकि गैंगचार्ट इसमें दिनांक–11–12–2003 को कायम किया गया है। दूसरा गैंगचार्ट दिनांक–25–03–2004 को श्री आर०के० गौतम एस०ओ० सोनवा द्वारा तैयार किया गया जिसमें डी०एम० का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

28– यह भी उल्लेखनीय है कि **शासनादेश संख्या–3352/छः–पु–9–1997 दिनांकित–10–11–1997 के बिन्दु 8** में यह निर्देश किये गये हैं कि–

(ग) गिरोह की सूची के साथ समुचित साक्ष्य एवं आधार का विवरण भी रखा जाये तथा **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी के साथ भली भांति परीक्षण के उपरान्त ही इस सूची को अन्तिम रूप प्रदान करें**।

(घ) सूची पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाये।

(ड.) न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व जिलाधिकारी का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाये।"

31– प्रस्तुत मामले मे सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त गैगचार्ट तैयार किया गया है जिसका अनुमोदन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक–17–05–2004 को गया है जबकि विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दिनांक–24–05–2004 को प्रेषित करने का अंकन किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन किये बिना न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है जिससे प्रारम्भिक रूप से ही कार्यवाही दूषित होना प्रतीत होती है और ऐसी कार्यवाही के आधार पर गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण की दोषसिद्धि उचित नहीं है।

29– अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इतना विरोधाभाषी एवं विसंगतिपूर्ण है कि न्यायालय अभियुक्त पर आरोपित अपराध के आस पास भी निष्कर्ष तक नहीं पहुँचता। अपितु अभियोजन के विपरीत इस ओर उपधारणा को बल प्राप्त होता है कि अभियोजन ने अभियुक्तगण को कई अन्यत्र से गिरफ्तार करते हुये यह फर्जी मुठभेड़ का मामला तैयार किया है। जिससे अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० का भी समर्थन होता है कि उसे घर से पकड़कर गलत मुकदमा लिखाकर फंसा दिया है। अभियुक्त के पास से बरामदगी भी अभियोजन साक्ष्य से साबित नहीं है। तथ्य से सभी गवाहान ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

30– प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक ने दौरान विवेचना अभियुक्त द्वारा अर्जित

आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ का कोई भी साक्ष्य संकलित नहीं किया है और न ही न्यायालय में दौरान साक्ष्य अभियोजन उक्त तथ्य को साबित कर सका है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अर्जित आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के सम्बन्ध में पत्रावली पर साक्ष्य का सर्वथा अभाव है। अभियोजन अपने साक्ष्य से यह भी साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त के कृत्य से समाज में भय व डर का माहौल व्याप्त हो गया था। **अशोक कुमार दीक्षित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1987 (83) ए०सी०सी० 164** के महत्वपूर्ण मामले में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अवधारित किया है कि कि "अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति मात्र इस कारण से दण्डित किये जाने के लिए दायी नहीं है, क्योंकि वह समूह का सदस्य है। वह अधिनियम की परिधि में तब आता है, जब वह ऐसे गिरोह का चयन करता है, जो अधिनियम के अधीन किसी समाज विरोधी कृत्य में संलिप्त रहते हैं और ऐसे बल का प्रयोग करते हैं ताकि स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भौतिक, आर्थिक व दुनियाबी लाभ अर्जित कर सकें।"

31– उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी स्थानीय बीट कास्टेबल की रिपोर्ट या धारा–107, 116 दं०प्र०सं० की कार्यवाही का कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह साबित होता हो कि अभियुक्त आपराधिक कृत्यों से कोई अनुचित दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्वेश्य से गिरोह के रूप में अपराध कारित करते हो। किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित सम्पत्ति होना साबित नहीं किया है। वादी मुकदमा ने स्पष्ट बयान दिया है कि गैंगचार्ट पहले ही तैयार कर लिया गया था जबकि गैंग के बारे में जानकारी उसे लगभग डेढ़ माह बाद गावं वालों से हुयी थी। इससे भी पूरी कार्यवाही दूषित प्रतीत होती है।

32– उपरोक्त के दृष्टिगत अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा है कि अभियुक्तगण का एक गिरोह है और वे एक साथ मिलकर या स्वयं लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के उद्वेश्य से अथवा अनुचित दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिये हिंसा, धमकी, प्रदर्शन, अभित्रास या प्रपीडन द्वारा ऐसा समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं जो उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–2 (ख) की उपधारा–(एक) से (पच्चीस) में उल्लिखित अपराध करते हैं। अभियोजन, अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति को साबित करने में विफल रहा है।

33– इस प्रकार प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्षियों के सम्यक परिशीलन से अभियुक्त राम सेवक के विरूद्ध धारा– 307 भा०दं०सं०

व धारा–3/25 आयुध अधिनियम व धारा–3(1) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट का आरोपित अपराध अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित एवं सिद्ध करने में विफल रहा है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाना उचित है।

आदेश

अभियुक्त राम सेवक यादव पुत्र झलूसे यादव को मुकदमा अपराध संख्या–202/2003 धारा–307 भा०दं०सं० व धारा–3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम एवं धारा–3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त राम सेवक का व्यक्तिगत बंधपत्र व प्रतिभूगण के बंधपत्र निरस्त किये जाते है तथा उन्हें उनके जमानत दायित्व से निर्मुक्त किया जाता है। अभियुक्त द्वारा धारा 437(ए) दं०प्र०सं० प्रस्तुत व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभूगण के बंधपत्र अगले 06 माह तक प्रभाव में रहेगें।

माल मुकदमा बाद मियाद अपील अथवा अपील की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार नष्ट किया जाये।

निर्णय की एक प्रति धारा–365 दं०प्र०सं० के अनुपालनार्थ जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती को भेजी जाये।

दिनांक–25–06–2026 (सौरभ सक्सेना)

विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 25–06–2026 (सौरभ सक्सेना)

विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम), श्रावस्ती।